



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 जून, 2005
ज्येष्ठ 18, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
खाद्य एवं रसद अनुभाग—8

संख्या मु०स० 28/29-8-2005- सी०पी० 29-96
लखनऊ, 08 जून, 2005

अधिसूचना

प० आ०—323

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005 कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में उप नियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(क) जिला फोरम का प्रधान, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो प्रतिदिन 200 रुपये का मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 4000 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 150 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(क) जिला फोरम का प्रधान, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो प्रतिदिन 200 रुपये का मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 5560 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 150 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

नियम 6 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नियम 6 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(क) राज्य आयोग का प्रधान यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो बैठक के लिए प्रतिदिन 250 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 6000 रुपये का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन है तो बैठक के लिए प्रतिदिन 200 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(क) राज्य आयोग का प्रधान यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो बैठक के लिए प्रतिदिन 250 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 8340 रुपये का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन है तो बैठक के लिए प्रतिदिन 200 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,

डी० सी० लाखा,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. M. S. 28/XXIX-8-2005- C. P. 29-96, dated June 8, 2005 for general information:

No. M. S. 28/XXIX-8-2005- C. P. 29-96

Dated Lucknow, June 8, 2005

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection rules, 1987.

THE UTTAR PRADESH CONSUMER PROTECTION (EIGHTH AMENDMENT)
RULES, 2005

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Eighth Amendment) Rules, 2005.

Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 hereinafter referred to as the said rules, in rule 3 in sub-rule (1) for the existing clause (a) set out in column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

Amendment of rule 3

COLUMN-1

Existing Clause

(a) The President of District Forum shall receive the salary of the Judge of a District Court if Appointed on whole time basis or an honorarium of Rs. 200/- per day if appointed on part time basis. Other Members if sitting on whole time basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 4000/- per month and if sitting on part time basis, a consolidated honorarium of Rs. 150/- per day for the sitting.

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(a) The President of District Forum shall receive the salary of the Judge of a District Court if Appointed on whole time basis or an honorarium of Rs. 200/- per day if appointed on part time basis. Other Members if sitting on whole time basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 5560/- per month and if sitting on part time basis, a consolidated honorarium of Rs. 150/- per day for the sitting.

3. In the said rules, in rule 6 in sub-rule (1) for the existing clause (a) set out in column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Amendment of rule 6

COLUMN-1

Existing Clause

(a) The President of the State Commission shall receive the salary of the Judge of the High Court if appointed on whole time basis, or a consolidated honorarium of Rs. 250/- per day for the sitting if appointed on part time basis. Other members if sitting on whole time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 6000/- per month, and if sitting on part time basis a consolidated honorarium of Rs. 200/- per day for the sitting.

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(a) The President of the State Commission shall receive the salary of the Judge of the High Court if appointed on whole time basis, or a consolidated honorarium of Rs. 250/- per day for the sitting if appointed on part time basis. Other members if sitting on whole time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 8340/- per month, and if sitting on part time basis a consolidated honorarium of Rs. 200/- per day for the sitting.

By order,
D. C. LAKHA,
Framukh Sachiv.

